भारत सरकार भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उदयोग विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2579 जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष भूमि

2579. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की देश में नई अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि के उपयोग करने की योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का ब्यौरा क्या है तथा इस भूमि के उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना परिकल्पित की गई; और
- (घ) इन भूमि की बिक्री से अर्जित राजस्व से किस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ हेतु उपयोग किए जाने की संभावना है?

उत्तर भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री (श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) से (घ): जी, नहीं। जहां तक भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का संबंध है इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने अपने पास कोई अधिशेष भूमि नहीं होने की सूचना दी है।

तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नामतः एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी बेयिरंग्स लिमिटेड और तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) के बंद हो जाने के पश्चात् इनकी भूमि को केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग या कंपनी जो उनके अधीन है, को सर्किल रेट या बाजार दर, जो भी अधिक हो, पर अंतरित/बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। बिक्री से हुई आय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दी गई नकद एवं नकदीतर सहायता के बदले में भारत सरकार को मिलेगी।

एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, एक अन्य कंपनी जो बंद होने वाली हैं, से संबंधित भूमि पट्टा समझौता शर्तों के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।
